[2018] 2 एस. सी. आर 752

सुचेत सिंह यादव और हमारा।

वी.

भारत और ओआरएस का संघ।

(सिविल अपील सं। 770-771 2018 का)

फरवरी 21,2018

[ए. के. सिकरी और अशोक भूषण, जे. जे.]

सशस्त्र बल-पेंशन लाभ-उच्च वेतन का दावा

पैमाना-जब वैध नहीं है-पांचवें सुचेट सिंह यादव और ओआरएस के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप।

वेतन आयोग की रिपोर्ट, सरकारी आदेश। 21.11.1997 सशस्त्र बल के अधिकारियों के वेतन और भत्तों के संबंध में जारी किए गए, उन पर निर्भर करते हुए, रक्षा बलों की तीनों शाखाओं, यानी सेना, वायु सेना और नौसेना के कमीशन अधिकारी, जो 01.01.1996 से पहले सेवानिवृत्त हुए थे, ने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के समक्ष सेवानिवृत्ति के समय उनके द्वारा रखे गए एक को अगले उच्च स्तर के अनुदान के लिए O. A. दायर किया, कुछ दावों को खारिज कर दिया गया था जबकि अन्य को न्यायाधिकरण द्वारा अनुमति दी गई थी। ऑर्डर डी. टी. डी. का अवलोकन। 21.11.1997 यह इंगित करता है कि उक्त आदेश द्वारा जो बताया गया था वह मंजूरी थी अधिकारियों के वेतनमान में सुधार के लिए अध्यक्ष, डब्ल्यू. ई. एफ. 01.01.1996-आदेश में इस्तेमाल किया गया शब्द 01.01.1996 से प्रभावी अधिकारियों का "वेतनमान" है, जो यह मानता है कि अभी भी प्रतिष्ठान में मौजूद अधिकारियों के वेतनमान में सुधार किया गया है-दिनांकित 21.11.1997 का आदेश कमीशन प्राप्त अधिकारियों के संबंध में जारी नहीं किया गया था, जो 01.01.1996 से पहले सेवानिवृत्त हो चुके थे, और न ही इसमें ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारियों के वेतनमान को उच्च पद तक बढ़ाने का प्रावधान है-इस प्रकार, जो 01.01.1996 पर सेवा में नहीं थे, वे दिनांकित 21.11.1997 के किसी भी लाभ का दावा नहीं कर सकते थे-इसके अलावा, आदेश डी. टी. डी. 14.01.2000 कोई लाभ देने के लिए जारी नहीं किया गया था

जो 01.01.1996-आवेदक-कमीशन अधिकारी से पहले सेवानिवृत्त हुए थे, वे आदेश डी. टी. डी. के तहत उच्च वेतनमान के लाभ के अनुदान के हकदार नहीं थे। 21.11.1997 - उन आवेदकों को उक्त लाभ देने वाले न्यायाधिकरण के आदेश जो पहले ही 01.01.1996 से सेवानिवृत्त हो चुके थे, उन्हें दरकिनार कर दिया गया है-जबकि, न्यायाधिकरण के आदेशों में कहा गया है कि सशस्त्र बल के अधिकारी, जो 01.01.1996 से पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं, वे पेंशन लाभ के हकदार नहीं हैं।

वी. भारत और ओआरएस का संघ।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय ने अपने संकल्प दिनांक 13.10.1997 के माध्यम से इसे लागू करने का निर्णय लिया था पाँचवें वेतन आयोग की रिपोर्ट डब्ल्यू. ई. एफ. 01.01.1996। उपरोक्त संकल्प दिनांक 13.10.1997 की निरंतरता में, रक्षा मंत्रालय द्वारा 21.11.1997 पर एक और आदेश जारी किया गया था। उक्त आदेश के अवलोकन से संकेत मिलता है कि उक्त आदेश द्वारा जो बताया गया था वह वेतन में सुधार के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी थी

अधिकारियों के स्केल, डब्ल्यू. ई. एफ. 01.01.1996। आदेश में उपयोग किया गया शब्द 01.01.1996 से प्रभावी अधिकारियों का "वेतनमान" है, जो यह मानता है कि अधिकारियों के वेतनमान में सुधार किया गया है, जो अभी भी प्रतिष्ठान में हैं। आदेश का खंड (ए) आवेदकों के दावे का आधार है। खंड (क) में दो अलग-अलग प्रावधान हैं। खंड (ए) के पहले भाग में कहा गया है कि "जो अधिकारी 01.01.1996 पर या उसके बाद मूल मेजर या समकक्ष बन जाते हैं, उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल या समकक्ष का पैमाना प्रदान किया जाएगा।

समतुल्य। ... ... , " . उपरोक्त खंड विशेष रूप से उन अधिकारियों को संदर्भित करता है जो उस दिन या उसके बाद मूल मेजर या समकक्ष बन गए थे।

खंड (ए) का हिस्सा लेफ्टिनेंट कर्नल या सशस्त्र बलों के कार्मिक के समकक्ष वेतनमान के अनुदान को भी संदर्भित करता है। अगले संवर्ग में वेतनमान का अनुदान आम तौर पर मौजूदा अधिकारियों के संदर्भ में होता है। [पैरा 17,18] [762-बी; 763-ई-एच; 764-ए-बी] 1.2 उपरोक्त दृष्टिकोण को सरकार द्वारा जारी किए गए 07.06.1999 के बाद के आदेश द्वारा मजबूत किया गया है, जो इसके संबंध में था

" सरकार के निर्णय को लागू करना

कमीशन प्राप्त अधिकारियों और अधिकारी [2018] 2 एस. सी. आर. से नीचे के कर्मियों के संबंध में पेंशन लाभों से संबंधित पांचवें सी. पी. सी. की सिफारिशें।

रैंक "। उक्त आदेश में प्रावधान किया गया है कि सभी सशस्त्र बल पेंशनभोगियों की सेवानिवृत्ति की तारीख चाहे जो भी हो, उनकी पेंशन, पेंशनभोगियों द्वारा रखे गए रैंक के डब्ल्यू. ई. एफ. 01.01.1996 और रैंक समूह (पी. बी. ओ. आर. के मामले में) के संशोधित वेतनमान में न्यूनतम वेतन के 50 प्रतिशत से कम नहीं होगी। इस प्रकार आई. डी. 1 से पहले सभी सेवानिवृत्त लोगों के लिए पेंशन का निर्धारण स्पष्ट रूप से उस पद के संबंध में है, जो पेंशनभोगी के पास था। यदि यह अभिप्रेत था कि पद को एक पैमाना अधिक देने के सरकारी आदेश का लाभ, जो सेवानिवृत्ति के समय सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों के पास था, उक्त प्रिस्क्रिप्शन को दिनांकित आदेश 07.06.1999 में अपना रास्ता ढूंढना चाहिए था। बल्कि 07.06.1999 दिनांकित आदेश में पर्ची और आवश्यकता

दिनांकित 21.11.1997 आदेश पर आवेदक द्वारा दी गई व्याख्या के विपरीत चलाएँ। [पारस 19,20] [764-सी, एफ-एच; 765-ए]

उनकी सेवानिवृत्ति का समय। इस प्रकार, 07.06.1999 दिनांकित आदेश का एक सादा पाठ स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि 07.06.1999 दिनांकित आदेश "के संबंध में पेंशन लाभ" के संबंध में जारी किया गया था। कमीशन प्राप्त अधिकारी "जबकि दिनांक 21.11.1997 का आदेश" सशस्त्र बल के अधिकारियों के वेतन और भत्तों "के संबंध में जारी किया गया था। इस प्रकार, दोनों आदेशों के विषय अलग-अलग थे, जो दोनों आदेशों को पढ़ने से स्पष्ट होता है। दिनांकित आदेश

21.11.1997 कमीशन प्राप्त अधिकारियों के संबंध में जारी नहीं किया गया था, जो 01.01.1996 से पहले सेवानिवृत्त हुए थे, और न ही इसमें कदम उठाने का प्रावधान है

ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारियों के वेतनमान को उच्च पद तक, अर्थात मूल मेजर के पद से या लेफ्टिनेंट के पैमाने के समकक्ष। कर्नल या समकक्ष। [पैरा 20,21] [764-एफ-एच; 765-डी-एफ]

1.4 दिनांकित 14.01.2000 आदेश का एक पठन, जिस पर आवेदकों द्वारा अपने तर्क का समर्थन करने के लिए निर्भरता भी रखी गई थी

यह इंगित करता है कि 21 साल के पहले के प्रिस्क्रिप्शन को घटाकर 20 साल कर दिया गया है, यह सूचित करता है कि सुचेट सिंह यादव और ओआरएस को बढ़ावा देने के लिए संशोधित वर्षों की सेवा की आवश्यकता है।

वी. भारत और ओआरएस का संघ।

मूल कैडर प्रदान किए गए थे। पदोन्नति के लिए मूल संवर्ग, जिनका विशेष रूप से उल्लेख किया गया था

सरकारी आदेश स्पष्ट रूप से उन अधिकारियों के संबंध में था, जो 01.01.1996 पर सेवा में थे, जो पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की तारीख थी। उक्त आदेश दिनांक 14.01.2000 उन लोगों को कोई लाभ देने के लिए जारी नहीं किया गया था जो 01.01.1996 से पहले सेवानिवृत्त हुए थे। [पारस 22,23] [765-जी-एच; 767-ए-बी]

1.5 यह अच्छी तरह से तय है कि पेंशनभोगियों के उद्देश्यों के लिए

प्रस्ताव है कि राज्य मनमाने ढंग से समान रूप से स्थित व्यक्तियों में से चुन और चुन नहीं सकता है, लाभों के विस्तार के लिए एक कट ऑफ तिथि विशेष रूप से पेंशन लाभ, कुछ तर्कसंगत सिद्धांत पर आधारित एक वर्गीकरण होना चाहिए जब समान रूप से स्थित वर्ग को किसी भी लाभ के अनुदान के लिए अलग किया जाता है। हालाँकि, वर्तमान में कोई भेदभाव नहीं है। पूर्व 01.01.1996 और पोस्ट 01.01.1996 सेवानिवृत्त लोगों के पेंशन लाभ। दिनांकित 07.06.1999 आदेश के पैरा 2 में "पद और पूर्व 01.01.1996 मामलों" दोनों की पेंशन की गणना के लिए एक ही सिद्धांत या सूत्र का प्रावधान है। आवेदक, भारत सरकार के दिनांकित 21.11.1997 के आदेश के आधार पर अपने दावे करते हैं और यह पहले से ही माना जाता है कि जो लोग 01.01.1996 पर सेवा में नहीं थे, वे दिनांकित 21.11.1997 के आदेश के किसी भी लाभ का दावा नहीं कर सकते थे। सशस्त्र बल अधिकारियों के वेतन और भत्तों के संदर्भ में दिनांकित 21.11.1997 आदेश जारी किया गया था, जो पूर्व-मान लेता है कि ये अधिकारी 01.01.1996 पर प्रतिष्ठान में थे। इस प्रकार, आवेदक स्पष्ट रूप से दिनांकित 21.11.1997 आदेश के तहत उच्च वेतनमान के लाभ के अनुदान के हकदार नहीं थे। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के उन आवेदकों को उक्त लाभ देने के आदेश, जो पहले से ही 01.01.1996 से सेवानिवृत्त हो चुके थे, को दरकिनार कर दिया गया है, जबकि सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के आदेशों में यह विचार रखा गया है कि सशस्त्र बल अधिकारी, जो 01.01.1996 से पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं

जो पेंशन लाभ के हकदार नहीं हैं, उन्हें बरकरार रखा जाता है। [पैरा 30,31 और 34] [770-जी-एच; 773-बी-एफ]

मेजर। के. जी. थॉमस बनाम भारत संघ और अन्य। [फैसला

सशस्त्र बल न्यायाधिकरण द्वारा पारित दिनांक 19.12.2012,

2011 के ओ. ए. सं. 256 में प्रधान पीठ, नई दिल्ली]

प्रतिष्ठित।

कर्नल बी. जे. अक्कारा (सेवानिवृत्त) बनाम भारत सरकार और अन्य। (2006) 11 एससीसी 709: [2006] 7 पूरक। एससीआर 58; डी. एस. नकारा और अन्य। वी. भारत संघ (1983) 1 एससीसी 305 : [1983] 2 एससीआर 165; के. सी. बजाज और अन्य। वी. संघ भारत और ओआरएस। (2014) 3 एससीसी 777: [2013] 14 एससीआर 1100 ; वी. कस्तूरी बनाम। प्रबंध निदेशक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत (1998) 8 एससीसी 30: [1998] 2 पूरक। एससीआर 269; भारत संघ और ए. एन. आर. वी. एस. पी. एस. (सेवानिवृत्त) और अन्य। (2008) 12 स्केल 360-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2006] 7 पूरक। एससीआर 58

संदर्भित किया गया है

पैरा 30

[1983] 2 एससीआर 165

संदर्भित किया गया है

पैरा 31

[2013] 14 एससीआर 1100

पैरा 33

संदर्भित किया गया है

[1998] 2 पूरक। एससीआर 269

संदर्भित किया गया है

पै

रा 33

(2008) 12 स्केल 360

संदर्भित किया गया है

पै

रा 33

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं।

771 2018 से।

ए. आर. के निर्णय और आदेश दिनांक 29.12.2015 से

बल न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली ने 2 के ओ. ए. सं. 666 में और 2014 के सी. सं. 666 में समीक्षा आवेदन सं. 4/2016 में दिनांकित 06.04.2016 आदेश/2016 के एम. ए. सं. 431 में दिनांकित <आई. डी. 1. ए. सं. 2014 के ओ. ए. सं. 666 में <आई. डी. 3.

के साथ

2015 की सिविल अपील सं. 7989,2016 की सिविल अपील सं. 7917

सिविल अपील सं। 773-774 , 2368 और 2018 का 2369।

सुखजिंदर सिंह, आलोक गुप्ता, आर. बालासुब्रमण्यम, सुश्री ए.

शर्मा, प्रभास बजाज, अक्षय अमृतांशु, एस. एस. रे, पी. के. मुल मुकेश कुमार मारोरिया, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

सुचेत सिंह यादव और हमारा। वी. भारत और ओआरएस का संघ।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अशोक भूषण, जे. 1. देरी को माफ कर दिया गया।

2. ये अपीलें रक्षा बलों की तीनों शाखाओं, यानी सेना, वायु सेना और नौसेना के कमीशन प्राप्त अधिकारियों के दावे से संबंधित हैं, जो सेवानिवृत्ति के समय उनके द्वारा रखे गए अगले उच्च स्तर के अनुदान के लिए 01.01.1996 से पहले सेवानिवृत्त हुए थे।

पाँचवें वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू करना।

3. इन अपीलों की सुनवाई दो समूहों में की गई। पहला समूह जिसमें

सिविल अपील (2016 की सिविल अपील डायरी संख्या 26259 से उत्पन्न)-सुचेत सिंह यादव और अन्य। बनाम भारत संघ और अन्य। और सिविल

अपील (2017 की सिविल अपील डायरी संख्या 25429 से उत्पन्न)-भारत संघ और अन्य। बनाम लेफ्टिनेंट कमांडर। सी. एम. मित्तल और अन्य। , जिसे 16.01.2018 पर सुना गया था। अपीलों का दूसरा समूह जिसमें 2015 की सिविल अपील संख्या 7989 शामिल है-लेफ्टिनेंट. सीडीआर। गुरमुख सिंह बनाम भारत संघ और अन्य। , 2016 की सिविल अपील सं. 7917-वी. के. मेहता बनाम। भारत संघ और अन्य। , सिविल अपील (2016 की सिविल अपील डायरी संख्या 7231 से उत्पन्न)-भारत संघ और अन्य। बनाम लेफ्टिनेंट कमांडर। भीष्म कुमार (सेवानिवृत्त) और अन्य। और सिविल अपील (2017 की सिविल अपील डायरी संख्या 22257 से उत्पन्न)-भारत संघ और अन्य। बनाम स्क्वाड्रन। एलडीआर। जय कुमार और अन्य। , 02.02.2018 पर सुना गया था।

4. अपील दोनों रक्षा अधिकारियों द्वारा दायर की गई हैं जिनके दावों को सशस्त्र बल न्यायाधिकरण द्वारा खारिज कर दिया गया है और भारत संघ जहाँ सशस्त्र बल न्यायाधिकरण द्वारा दावों की अनुमति दी गई थी। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली के साथ-साथ अन्य क्षेत्रीय पीठों द्वारा दिए गए निर्णयों ने अलग-अलग अवसरों पर एक ही मुद्दे पर अलग-अलग विचार व्यक्त किए हैं।

5. सिविल अपील (2016 की सिविल अपील डायरी संख्या 26259 से उत्पन्न)-सुचेत सिंह यादव और अन्य। बनाम भारत संघ और अन्य। और सिविल अपील (2017 की सिविल अपील डायरी संख्या 25429 से उत्पन्न)-भारत संघ और अन्य। बनाम लेफ्टिनेंट कमांडर। सी. एम. मित्तल और अन्य। स्क्वाड्रन द्वारा दायर 2014 के ओ. ए. संख्या 666 से उत्पन्न सशस्त्र बल न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली दिनांक 29.12.2015 और 06.04.2016 के उसी फैसले के खिलाफ उत्पन्न हुए हैं। एलडीआर। सुचेत सिंह यादव और अन्य। स्क्वाड्रन द्वारा दायर दीवानी अपील में तथ्यों और अभिवचनों का संदर्भ। एलडीआर। सुचेत सिंह यादव इन सभी अपीलों पर निर्णय लेने के लिए पर्याप्त होंगे, जो तथ्यों और कानून के सामान्य सवाल उठाते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सिविल अपील (2016 की सिविल अपील डायरी संख्या 26259 से उत्पन्न)

सुचेत सिंह यादव और अन्य। बनाम भारत संघ और अन्य।

6. स्क्वाड्रन। एलडीआर। सुचेत सिंह यादव को 27.03.1965 पर नियुक्त किया गया था और वह स्क्वाड्रन का पद धारण करते हुए 14.08.1985 पर सेवानिवृत्त हुए। एलडीआर। में

अधिकारी पद से नीचे के कर्मी। 14.01.2000 पर, Vth वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने वाला एक और आदेश-पैरा 147.21 "शर्तें सेना, वायु सेना और नौसेना के अधिकारियों को पर्याप्त पद प्रदान करने के संबंध में "जारी किया गया था। अपीलार्थी सुचेत सिंह यादव और अन्य चौदह सशस्त्र बलों के अधिकारी, जो स्क्वाड्रन के पद पर थे। Ldr./Major/Lt। सीडीआर। क्रमशः दावा करते हैं कि वे अपने वेतन/पेंशन को लेफ्टिनेंट कर्नल के अगले वेतनमान में या सरकारी आदेश दिनांक 21.11.1997 के अनुसरण में समकक्ष निर्धारित करने के हकदार थे, जिसे उन्हें अस्वीकार कर दिया गया है। नतीजतन, स्क्वाड्रन। एलडीआर। सुचेत सिंह यादव और चौदह अन्य सशस्त्र

सेना के अधिकारियों ने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली में 2014 का ओ. ए. संख्या 666 दायर किया। मूल आवेदन में, आवेदकों ने निम्नलिखित राहतों का दावा कियाः

(क) याचिकाकर्ता को विंग कमांडर (टाइम स्केल) के पद और समकक्ष रैंक की पेंशन दी जाए।

01.01.1996 के अनुसरण में परिणामी लाभों के साथ

सरकार द्वारा अनुमोदित 5 वीं सी. पी. सी. सिफारिशों (पैरा 147.21) का कार्यान्वयन। उत्तरदाताओं के दिनांकित 02.09.2014 संचार को रद्द करते हुए अनुलग्नक पी-3 में दिनांकित 14.01.2000 का भारत का पत्र

और ऐसे अन्य संचार/आदेश जब सरकार के संदर्भ में न्यूनतम स्तर पर जारी किए जाते हैं। भारत का दिनांकित पत्र 21.11.1997,

सरकार के साथ पढ़ें। भारत का दिनांकित पत्र 07.06.1999 और

09.02.2001 (संशोधित समानता प्रदान करना) और सरकार। भारत का दिनांकित पत्र

14.01.2000 12 प्रतिशत ब्याज के साथ।

सुचेत सिंह यादव और हमारा। वी. भारत और ओआरएस का संघ। [अशोक भूषण, जे।]

(ख) उपरोक्त प्रार्थनाएँ कृपया अन्य चौदह याचिकाकर्ताओं पर भी एक साथ लागू की जा सकती हैं, क्योंकि वे एक ही याचिका दायर करने के लिए एक साथ जुड़े हैं;

(ग) किसी भी अन्य राहत (ओं) को पारित करें, जिसे यह माननीय न्यायाधिकरण न्याय के हित में उचित, न्यायसंगत और उचित समझे और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में भी दिया जा सकता है।

याचिकाकर्ताओं।

7. ओ. ए. में प्रत्यर्थियों की ओर से एक जवाबी हलफनामा दायर किया गया था जिसमें अनुरोध किया गया था कि रक्षा मंत्रालय के पत्र दिनांक 21.11.1997 और

14.01.2000 उन आवेदकों के संबंध में लागू नहीं होते हैं, जो 01.01.1996 से पहले सेवानिवृत्त हुए थे। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण ने पक्षों को सुनने के बाद दिनांक 1 के फैसले के माध्यम से ओ. ए. को खारिज कर दिया। न्यायाधिकरण ने कहा कि दावे को 2 से पहले नहीं बढ़ाया जा सकता है और आगे उन्होंने आवश्यक सेवा को पूरा नहीं किया, जो उच्च पेंशन देने के लिए आवश्यक था। न्यायाधिकरण के समक्ष समीक्षा के लिए एक आवेदन दायर किया गया था

2016 का आर. ए. नंबर 4 होना। समीक्षा आवेदन में, यह तर्क दिया गया था कि हालांकि कुछ आवेदकों ने 20 वर्ष पूरे कर लिए थे, लेकिन उनमें से अधिकांश ने 01.01.1996 से पहले 21 वर्ष की सेवा पूरी कर ली थी, इसलिए, वे न्यायाधिकरण के दिनांक 19.12.2012 के फैसले द्वारा कवर किए जाएंगे। के. जी. थॉमस बनाम भारत संघ और अन्य। , 2011 का ओ. ए. सं. 256, जिसे इस न्यायालय ने भी बरकरार रखा था। न्यायाधिकरण ने अपने निर्णय और दिनांक 06.04.2016 के आदेश के माध्यम से स्क्वाड्रन को छोड़कर सभी आवेदकों के समीक्षा आवेदन की अनुमति दी। एलडीआर। सुचेत सिंह यादव, जो एस. एल. में थे। नं. 1 और जिनका उल्लेख क्र. सं. में किया गया था। सं. 11,12 और 14। सुचेत सिंह यादव और तीन अन्य, मेजर। H.R.Y.Rajan, लेफ्टिनेंट कमांडर। आई. एन. (सेवानिवृत्त) आर. ई. बालासुब्रमण्यम और मेजर। अशोक कुमार चौधरी ने दिनांकित 29.12.2015 के फैसलों पर सवाल उठाते हुए दीवानी अपील दायर की है और

06.04.2016 . न्यायाधिकरण के दिनांक 29.12.2015 और 06.04.2016 के फैसलों से व्यथित भारत संघ ने अपील दायर की है।

2015 की सिविल अपील संख्या 7989-लेफ्टिनेंट कमांडर। गुरमुख सिंह बनाम भारत संघ और अन्य। ,

8. यह अपील लेफ्टिनेंट कमांडर द्वारा दायर की गई है। गुरमुख सिंह सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के फैसले से व्यथित हैं, प्रधान पीठ ने दिनांकित किया

11.01.2012 जिसके द्वारा अपीलार्थी के दिनांकित सरकारी आदेश के आधार पर कमांडर के पैमाने में समय पैमाने पर पदोन्नति का लाभ देने के दावे को खारिज कर दिया गया है। अपीलार्थी लेफ्टिनेंट कमांडर के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। 01.10.1992 पर।

18] 2 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2016 की सिविल अपील सं. 7917-वी. के. मेहता बनाम। भारत संघ और अन्य।

सिविल अपील (2016 की सिविल अपील डायरी संख्या 7231 से उत्पन्न)-भारत संघ और अन्य। बनाम लेफ्टिनेंट कमांडर। भीष्म कुमार (सेवानिवृत्त) और अन्य। 10. भारत संघ सशस्त्र बल न्यायाधिकरण द्वारा पारित दिनांक 25.02.2015 के आदेश के खिलाफ अपील कर रहा है, जिसके द्वारा प्रतिवादियों के दावे को मेजर में उसी न्यायाधिकरण के पहले के फैसले के आधार पर अनुमति दी गई थी। के. जी. थॉमस बनाम भारत संघ और अन्य। , 2011 के ओ. ए. सं. 256 ने 19.12.2012 पर निर्णय लिया। उत्तरदाता 30.09.1993 पर लेफ्टिनेंट कमांडर के रूप में भी सेवानिवृत्त हुए थे।

सिविल अपील (2017 की सिविल अपील डायरी संख्या 22257 से उत्पन्न)

भारत संघ और अन्य। बनाम स्क्वाड्रन। एलडीआर। जय कुमार और अन्य।

प्रतिवादियों को न्यायाधिकरण के पहले के फैसले के बाद अनुमति दी गई थी। के. जी. थॉमस बनाम भारत संघ और अन्य। , 2011 का ओ. ए. सं. 256। उत्तरदाता भी जुलाई, 1993 में स्क्वाड्रन के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे। एलडीआर। 12. हमने सशस्त्र बलों के कार्मिक की ओर से पेश विद्वान वकील को सुना है, जो हमारे समक्ष अपीलकर्ता हैं और साथ ही भारत संघ के विद्वान वकील भी हैं। पार्टियों को सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के समक्ष मूल आवेदन में वर्णित के रूप में संदर्भित किया जा रहा है, यानी, आवेदकों और उत्तरदाताओं को।

13. आवेदकों के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि सरकारी आदेश दिनांक 21.11.1997 ने उन लोगों को लाभ प्रदान किया जो बन गए

लेफ्टिनेंट कर्नल का पैमाना या उनके समकक्ष 21 साल की कमीशन सेवा के पूरा होने पर, यानी उनके 22 वें वर्ष में मेजर के रैंक वेतन के साथ। आवेदकों के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि 21 साल के प्रिस्क्रिप्शन को बाद में 14.01.2000 के आदेश द्वारा घटाकर 20 साल कर दिया गया था। जिन आवेदकों ने कमीशन सेवा के 21/20 वर्ष पूरे कर लिए हैं, वे लेफ्टिनेंट कर्नल या समकक्ष के वेतनमान के हकदार थे। उत्तरदाताओं का रुख जो एस. यू. सी. एच. ई. टी. सिंह यादव और ओ. आर. एस.

वी. भारत और ओआरएस का संघ। [अशोक भूषण, जे।]

दिनांकित 21.11.1997 आदेश का लाभ उन लोगों के लिए उपलब्ध नहीं था, जो 01.01.1996 से पहले सेवानिवृत्त हुए थे, गलत और अनुचित है। कट ऑफ डेट यानी 01.01.1996 के आधार पर सेवानिवृत्त लोगों के एक समान वर्ग के लाभों के संबंध में कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। वे सभी, जो 01.01.1996 से पहले सेवानिवृत्त हुए या जो 01.01.1996 के बाद सेवानिवृत्त होंगे, वे समान लाभ के हकदार हैं, अर्थात, 21/20 वर्ष की कमीशन सेवा के पूरा होने पर एक उच्च पैमाने पर कदम रखना।

14. यह प्रस्तुत किया जाता है कि सशस्त्र बल न्यायाधिकरण प्रधान पीठ

मेजर में इसी तरह के दावे की अनुमति दी है। केजी थॉमस बनाम। भारत संघ और अन्य। , 2011 के ओ. ए. सं. 256 ने अपने दिनांकित 19.12.2012 के फैसले के माध्यम से, जिस फैसले को 2015 के सिविल अपील सं. 1843-1844 (2014 की डायरी सं. 12209 से उत्पन्न) में अपने दिनांकित 06.02.2015 के आदेश के माध्यम से इस अदालत की पुष्टि भी प्राप्त हुई है, सभी आवेदक भी समान लाभ के हकदार हैं। अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने दावे को स्वीकार करते हुए सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की विभिन्न पीठों द्वारा पारित विभिन्न आदेशों के साथ-साथ इस न्यायालय के कुछ निर्णयों पर भरोसा किया है, जिन्हें प्रस्तुतियों पर विस्तार से विचार करते समय संदर्भित किया जाएगा।

15. भारत संघ के विद्वान वकील ने प्रस्तुतियों का खंडन करते हुए तर्क दिया कि आवेदक इसके तहत किसी भी लाभ के हकदार नहीं हैं दिनांकित आदेश 21.11.1997। सशस्त्र बलों के कार्मिकों के वेतन और भत्तों के संबंध में दिनांकित 21.11.1997 आदेश जारी किया गया था। द.

21.11.1997 पूर्व-दिनांकित आदेश यह मानता है कि अधिकारी 01.01.1996 पर सेवा में हैं। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उन लोगों को पेंशन लाभ के संबंध में, जो 01.01.1996 से पहले सेवानिवृत्त हुए थे, सरकार ने 07.06.1999 पर एक और आदेश जारी किया। इस प्रकार, आवेदक सरकारी आदेश दिनांक 07.06.1999 द्वारा कवर किए जाते हैं, जिसने आदेश के नियमों और शर्तों के अनुसार पेंशन को बढ़ाकर उनकी पेंशन को भी संशोधित किया था।

वह मेजर में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के उस आदेश को प्रस्तुत करता है। के. जी. थॉमस बनाम भारत संघ और अन्य। , 2011 का ओ. ए. सं. 256, जिस पर आवेदक भरोसा करते हैं, उक्त मामले के तथ्यों तक ही सीमित था और इस न्यायालय के आदेश ने अपील को खारिज करते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि निर्णय उस मामले के तथ्यों तक ही सीमित था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि मेजर में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के फैसले के खिलाफ भारत संघ की अपील को खारिज करने वाले इस न्यायालय के दिनांक 06.02.2015 के आदेश से ऐसा कोई अनुपात नहीं पढ़ा जा सकता है। के. जी. थॉमस मामला, जो वर्तमान मामले में आवेदकों की मदद कर सकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उन लोगों को पेंशन लाभ देने में भेदभाव का तर्क, जो 01.01.1996 से पहले सेवानिवृत्त हुए थे और जो 01.01.1996 के बाद सेवा में थे, पूरी तरह से गलत धारणा है और गलत धारणा पर आधारित है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

17. भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय ने अपने संकल्प दिनांक 13.10.1997 के माध्यम से पांचवें वेतन को लागू करने का निर्णय लिया था। आयोग की रिपोर्ट डब्ल्यू. ई. एफ. 01.01.1996 उपरोक्त संकल्प दिनांक 13.10.1997 की निरंतरता में, रक्षा मंत्रालय द्वारा 21.11.1997 पर एक और आदेश जारी किया गया था, जो आवेदकों के दावे का शीट एंकर है। 21.11.1997 दिनांकित पूरे आदेश को निकालना उपयोगी है, जो अपीलों के वर्तमान समूह में विचार के लिए आता है। 21.11.1997 दिनांकित आदेश निम्नलिखित प्रभाव से हैः

" संख्या 1 (5)/97/डी (वेतन/सेवा) भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय,

नई दिल्ली, 21 नवंबर 1997।

को।

सेनाध्यक्ष नौसेना प्रमुख

वायु सेना प्रमुख

उपः - सशस्त्र बल अधिकारियों का भुगतान और अनुमतियाँ।

इस मंत्रालय के 13 अक्टूबर 1997 के राजपत्र में अधिसूचित संकल्प संख्या 1 (3)/97/डी (वेतन/सेवा) की निरंतरता में वेतन के कार्यान्वयन के संबंध में भारत दिनांक 16 अक्टूबर 1997

पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के परिणामस्वरूप सशस्त्र बल अधिकारियों के भत्ते आदि, मुझे अधिकारियों के वेतनमान में निम्नलिखित सुधार के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी से अवगत कराने का निर्देश दिया गया है।

1-1-1996 :

(ए) मेजर और समकक्ष

अधिकारी जो मूल मेजर या समकक्ष बन जाते हैं या

1-1-1996 के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल का पैमाना दिया जाएगा या

मेजर या समकक्ष के संशोधित पैमाने में एक वर्ष के लिए उनके ठहराव पर समतुल्य। हालाँकि, ऐसे अधिकारी मेजर या समकक्ष के लिए रैंक वेतन प्राप्त करना जारी रखेंगे।

सुचेत सिंह यादव और हमारा। वी. भारत और ओआरएस का संघ। [अशोक भूषण, जे।]

2. मंत्रालय की सहमति से यह मुद्दा उठाया गया है रक्षा (वित्त) ने अपने यू. ओ. सं. 1151/पी. ए. जी. पी., दिनांक 21.11.1997 को देखा।

आप

की वफादारी से,

एसडी/- x x x

(एम. एस.

सोखांडा)

संयुक्त सचिव

भारत सरकार।

सभी संबंधित लोगों को प्रतिलिपि दें।

18. उपरोक्त आदेश का अवलोकन इंगित करता है कि क्या बताया गया था

उक्त आदेश द्वारा अधिकारियों के वेतनमान में सुधार के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी थी, डब्ल्यू. ई. एफ. 01.01.1996। में प्रयुक्त शब्द

आदेश 01.01.1996 से प्रभावी अधिकारियों का "वेतनमान" है, जो यह मान लेता है कि अधिकारियों के वेतनमान में सुधार हुआ है।

बनाया गया, जो अभी भी प्रतिष्ठान में हैं। आदेश का खंड (ए) आवेदकों के दावे का आधार है। खंड (ए) में दो अलग-अलग प्रावधान हैं, (खंड (ए) के पहले भाग में कहा गया है कि अधिकारी

01.01.1996 पर या उसके बाद मूल मेजर या समकक्ष होने पर लेफ्टिनेंट कर्नल या समकक्ष का पैमाना प्रदान किया जाएगा. उपरोक्त खंड विशेष रूप से उन अधिकारियों को संदर्भित करता है जो 01.01.1996 पर या उसके बाद मूल मेजर या समकक्ष बन गए। यह खंड वर्तमान आवेदकों के संबंध में स्पष्ट रूप से लागू नहीं होता है। खंड (ए) का दूसरा भाग, जिस पर भरोसा किया जाता है, वह है "एक बार के उपाय के रूप में, हालांकि, जो लोग 01.01.1996 से पहले मूल मेजर या समकक्ष बन गए हैं, उन्हें [2018] 2 एस. सी. आर. के 21 साल पूरे होने पर लेफ्टिनेंट कर्नल या समकक्ष का पैमाना दिया जाएगा।

कमीशन की गई सेवा यानी उनके 22 वें वर्ष में मेजर के रैंक वेतन के साथ। उपरोक्त उद्धृत भाग लेफ्टिनेंट कर्नल या के पैमाने के अनुदान को संदर्भित करता है।

21 वर्ष की कमीशन सेवा के पूरा होने पर समकक्ष, यानी 22 वें वर्ष में मेजर के रैंक वेतन के साथ। सरकारी आदेश में

दिनांक 21.11.1997, लेफ्टिनेंट कर्नल या समकक्ष के वेतनमान के अनुदान पर विचार किया जाता है। खंड (ए) के दूसरे भाग में लेफ्टिनेंट कर्नल या सशस्त्र बलों के कार्मिक के समकक्ष वेतनमान के अनुदान का भी उल्लेख है। द.

अगले संवर्ग में वेतनमान का अनुदान आम तौर पर मौजूदा अधिकारियों के संदर्भ में होता है। 19. हमारा उपरोक्त दृष्टिकोण सरकार द्वारा जारी किए गए 07.06.1999 के बाद के आदेश द्वारा मजबूत किया गया है, जो इसके संबंध में था

" कमीशन प्राप्त अधिकारियों और अधिकारी रैंक से नीचे के कर्मियों के संबंध में पेंशन लाभों से संबंधित पांचवें सी. पी. सी. की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय का कार्यान्वयन। सरकारी आदेश के प्रारंभिक अनुच्छेद में कहा गया हैः

" कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ओ. एम. संख्या 45/10/98-पी. एंड पी. डब्ल्यू. (ए) दिनांक <आई. डी. 1 के जारी किए जाने के परिणामस्वरूप, हस्ताक्षरकर्ता को यह कहने का निर्देश दिया जाता है कि राष्ट्रपति को यह निर्णय लेते हुए खुशी हो रही है कि डब्ल्यू. ई. एफ. 1.1.96 सभी सशस्त्र बल पेंशनभोगियों की पेंशन उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख के बावजूद कम से कम नहीं होगी।

50 % वेतन के संशोधित पैमाने में शुरू किए गए न्यूनतम वेतन में से रैंक के 1.1.96 और रैंक समूह (PBOR के मामले में) सभी

पेंशनभोगी द्वारा आयोजित "।

सेवानिवृत्ति पेंशनभोगियों द्वारा रखे गए रैंक के डब्ल्यू. ई. एफ. 01.01.1996 और रैंक समूह (पी. बी. ओ. आर. के मामले में) में शुरू किए गए वेतन के संशोधित पैमाने में न्यूनतम वेतन के 50 प्रतिशत से कम नहीं होगी। इस प्रकार पेंशन का निर्धारण स्पष्ट रूप से 01.01.1996 से पहले सभी सेवानिवृत्त लोगों के लिए है, जो कि पेंशनभोगी द्वारा रखे गए पद के संबंध में है, यदि यह इरादा था कि 21.11.1997 दिनांकित सरकारी आदेश का लाभ एक पैमाना अधिक देने का था। उस पद तक, जो सेवानिवृत्ति के समय सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों के पास था, उक्त प्रिस्क्रिप्शन को दिनांकित 07.06.1999 के आदेश में पाया जाना चाहिए था। बल्कि दिनांकित 07.06.1999 आदेश में प्रिस्क्रिप्शन और आवश्यकता आवेदक द्वारा सुचेट सिंह यादव और ओआरएस पर दी गई व्याख्या के विपरीत है।

वी. भारत और ओआरएस का संघ। [अशोक भूषण, जे।]

दिनांकित आदेश 21.11.1997। पैरा 2 पद और 1996 से पहले दोनों मामलों के कमीशन प्राप्त अधिकारियों से संबंधित है, जो इस प्रकार हैः

" 2.1 आयोग के अधिकारी पोस्ट और प्री-1.1.96 मामले

(क) पेंशन की गणना सभी मामलों में औसत परिलब्धि के 50 प्रतिशत पर की जाती रहेगी और यह न्यूनतम निम्न शर्तों के अधीन होगी -

रु. 1275 / - पी. एम. और सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए लागू उच्चतम वेतन के अधिकतम 50 प्रतिशत तक, लेकिन किसी भी मामले में पूर्ण पेंशन आयोग अधिकारी द्वारा अपनी सेवानिवृत्ति के समय पिछले पद के लिए शुरू किए गए वेतन के संशोधित पैमाने के न्यूनतम 50 प्रतिशत से कम नहीं होगी। हालांकि ऐसी पेंशन को आनुपातिक रूप से कम किया जाएगा, जहां पेंशनभोगी के पास पूर्ण पेंशन के लिए अधिकतम आवश्यक सेवा से कम है।

21. उपरोक्त प्रावधान यह भी स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि संशोधित वेतनमान के न्यूनतम 50 प्रतिशत की शुरुआत डब्ल्यू. ई. एफ. 01.01.1996 से की गई थी, जो उनकी सेवानिवृत्ति के समय कमीशन प्राप्त अधिकारियों द्वारा अंतिम बार रखे गए पद के लिए थी। उपरोक्त प्रावधान देने की कोई अवधारणा नहीं लाता है किसी को उच्च वेतनमान, जो उनकी सेवानिवृत्ति के समय नियुक्त अधिकारियों के पास था। इस प्रकार, 07.06.1999 दिनांकित आदेश का एक सादा पाठ स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि 07.06.1999 दिनांकित आदेश "कमीशन प्राप्त अधिकारियों के संबंध में पेंशन लाभ" के संबंध में जारी किया गया था, जबकि 21.11.1997 दिनांकित आदेश "वेतन और वेतन" के संबंध में जारी किया गया था।

सशस्त्र बल के अधिकारियों के भत्ते "। इस प्रकार, दोनों आदेशों के विषय अलग-अलग थे, जो दोनों आदेशों को पढ़ने से स्पष्ट होता है। दिनांकित 21.11.1997 आदेश के संबंध में जारी नहीं किया गया था

कर्नल या समकक्ष। 22. दिनांकित 14.01.2000 आदेश, जिस पर आवेदकों द्वारा उनकी इस दलील का समर्थन करने के लिए भी निर्भरता रखी गई है कि पहले 21 साल के प्रिस्क्रिप्शन को घटाकर 20 साल कर दिया गया है, उस पर भी टिप्पणी की आवश्यकता है। रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 14.01.2000 का आदेश निम्नलिखित प्रभाव का थाः

एस. सी. आर

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" सं. 14 (1)/98/डी (एजी)

भारत सरकार,

रक्षा मंत्रालय,

नई दिल्ली, 14 जनवरी, 2000।

को।

सेनाध्यक्ष

नौसेना प्रमुख

वायु सेना प्रमुख

अनुशंसाएँ-पैरा 147.21 सेना, वायु सेना और नौसेना के अधिकारियों को मूल पद प्रदान करने के संबंध में शर्तें। साहब,

सेना, वायु सेना और नौसेना के अधिकारियों को पर्याप्त पदोन्नति देने के मौजूदा आदेशों को निरस्त करते हुए राष्ट्रपति ने निम्नलिखित सेवाओं/कोर के मूल संवर्गों में पदोन्नति के लिए आवश्यक सेवा के संशोधित वर्षों को मंजूरी दे दी है:

लेफ्टिनेंट और इक्विव। कैप्टन।

लेफ्टिनेंट

कर्नल

हथियार/सेवा /

मेजर

शरीर

(टीएस)

&

&

& इक्वीव।

ईक्वी वी।

इक्वीव।

(वर्ष)

(वर्ष)। (वर्ष)

((i) अधिकारी

उस पर

4

10

20

पूरा करना

सेवाओं का

में से

इसके अलावा

एएमसी, एडीसी,

प्रशिक्षण

एमएनएस, आरवीसी,

एसडी सूची अधिकारीगण

(नौसेना) &

आर. सी. ओ. अधिकारियों ने सिंह यादव और ओ. आर. एस. को चुना। वी. भारत और ओआरएस का संघ। [अशोक भूषण, जे।]

23. उपरोक्त आदेश को पढ़ने से संकेत मिलता है कि मूल संवर्गों की पदोन्नति के लिए आवश्यक सेवा के संशोधित वर्षों का प्रावधान किया गया था

के लिए। मूल संवर्गों में पदोन्नति, जिसका विशेष रूप से सरकारी आदेश में उल्लेख किया गया था, स्पष्ट रूप से उन अधिकारियों के संबंध में थी, जो आई. डी. 1 पर सेवा में थे, जो पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की तारीख थी। उक्त आदेश दिनांकित था

14.01.2000 उन लोगों को कोई लाभ देने के लिए जारी नहीं किया गया था जो 01.01.1996 से पहले सेवानिवृत्त हुए थे।

24. मेजर में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेशों पर अपीलार्थी द्वारा बहुत अधिक निर्भरता रखी गई है। के. जी थॉमस बनाम यूनियन

भारत और ओआरएस। , 2011 का ओ. ए. सं. 256, जिसके खिलाफ आदेश दिया गया था, अपील को भी इस न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था। मेजर। के. जी. थॉमस भी एक अधिकारी थे, जो 31.05.1988 पर सेवानिवृत्ति के समय मूल मेजर का पद धारण कर रहे थे। 2011 का ओ. ए. सं. 256 उनके द्वारा दायर किया गया था जिसमें दावा किया गया था कि

दिनांक 21.11.1997 के आदेश के अनुसरण में लेफ्टिनेंट कर्नल (टाइम स्केल) के वेतनमान का अनुदान। न्यायाधिकरण ने अपने दिनांकित 19.12.2012 के फैसले को देखा

दावे की अनुमति दी। निर्णय के पैरा 3,4 और 5, जो प्रासंगिक हैं, नीचे उद्धृत किए गए हैंः

उसे मौद्रिक लाभ दिया जाना चाहिए क्योंकि उसने 21 वर्षों से अधिक समय तक मेजर के रूप में सेवा की है। ऐसा प्रतीत होता है कि जहाँ तक पहली राहत का संबंध है, वही संभव नहीं है। लेफ्टिनेंट कर्नल (टी. एस.) को लेफ्टिनेंट कर्नल का पद दिए बिना वेतनमान देने के लिए वैकल्पिक राहत को उत्तरदाताओं ने अपने जवाब में स्वीकार कर लिया है। पैरा 4.12 और पैरा 5.8 के अनुसार। पैरा 4.12 में उन्होंने कहा है कि "21 नवंबर 1997 के रक्षा मंत्रालय के पत्र के अनुसार, 1 जनवरी 1996 से पहले मूल मेजर का पद धारण करने वाले अधिकारियों को 21 साल की कमीशन सेवा पूरी करने पर मेजर के रैंक वेतन के साथ लेफ्टिनेंट कर्नल का स्केल (लेकिन रैंक नहीं) दिया जाना है।" इसी तरह, पैरा 5.8 में, उन्होंने उसी स्थिति को स्वीकार किया है कि याचिकाकर्ता 22 साल की सेवा पूरी करने के बाद मेजर के ग्रेड वेतन के साथ लेफ्टिनेंट कर्नल (टी. एस.) के स्केल (रैंक नहीं) के अनुदान के लिए पात्र है।

रक्षा मंत्रालय के दिनांकित 21.11.1997 पत्र में दिए गए दिशानिर्देश।

4. इसलिए याचिकाकर्ता को यह राहत देने में कोई कठिनाई नहीं है। उत्तरदाताओं के लिए बहुत निष्पक्ष रूप से सीखी गई सलाह [2018] 2 एस. सी. आर.

उन्होंने स्वीकार किया कि वह इस लाभ के हकदार हैं। हालाँकि, उन्होंने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने इस न्यायाधिकरण से देर से संपर्क किया है और 06.07.2011 पर वर्तमान OA दायर किया है। इसलिए, राहत हो सकती है

केवल तीन साल तक सीमित।

5. उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील की इस आपत्ति को बरकरार रखा जाता है। याचिकाकर्ता को याचिका दायर करने की तारीख (26.07.2011) से पहले के तीन वर्षों से लाभ के बकाया का हकदार माना जाता है। उत्तरदाताओं को बकाया राशि की गणना करने का निर्देश दिया जाता है

याचिकाकर्ता को 12 प्रतिशत ब्याज के साथ तीन महीने के भीतर भुगतान किया जाएगा। याचिका को आंशिक रूप से अनुमति दी गई है। इस बारे में कोई आदेश नहीं लागत "।

25. उपरोक्त निर्णय के अवलोकन से संकेत मिलता है कि उक्त निर्णय रियायत पर आधारित था, जिसे विशेष रूप से पैरा 4 में दर्ज किया गया था। उक्त फैसले के बाद, भारत संघ ने तुरंत एक समीक्षा दायर की है। समीक्षा में, भारत संघ द्वारा यह अनुरोध किया गया था कि भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के दिनांक 21.11.1997 के पत्र के अनुसार उन्नयन का लाभ केवल मेजर के पद के उन अधिकारियों को दिया जाना था, जो 01.01.1996 पर सेवा में थे। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण द्वारा 09.10.2013 पर समीक्षा आवेदन खारिज कर दिया गया था।

26. यह विचार रखते हुए कि जब 2011 की ओ. ए. संख्या 256 का निर्णय लिया गया था, तब कोई भी विवाद नहीं उठाया गया था, न्यायाधिकरण ने कहा कि भारत संघ द्वारा ली गई याचिकाएं समीक्षा के दायरे में नहीं आती हैं। आदेश के पैरा 7 में निम्नलिखित टिप्पणियां करके समीक्षा को खारिज कर दिया गया थाः

" 7. हमारी यह सुविचारित राय है कि न्यायाधिकरण ने जवाबी हलफनामे में यू. ओ. आई. द्वारा बहुत विशिष्ट स्वीकारोक्ति के अनुसार ओ. ए. 256/2011 का निर्णय लिया है और समीक्षा का दायरा सीमित है कि क्या रिकॉर्ड के सामने कोई स्पष्ट त्रुटि है या नहीं। आज समीक्षा में हमारे सामने जो दलीलें उठाई गई हैं, उनमें से कोई भी न्यायाधिकरण के समक्ष तब नहीं उठाई गई थी जब ओ. ए. 256/2011 का निर्णय लिया गया था और न ही उन दस्तावेजों को प्रस्तुत किया गया था और इसलिए, हमारी राय है कि आवेदक यू. ओ. आई. द्वारा ली गई दलीलें आदेश 19.12.2012 की समीक्षा के दायरे में नहीं आती हैं। आदेश की समीक्षा केवल तभी की जा सकती है जब अभिलेख के सामने त्रुटि स्पष्ट हो और कानूनी बहस योग्य मुद्दे के गहन विश्लेषण के बिना पाया जा सके। इसलिए, समीक्षा आवेदन No.25/2013 खारिज कर दिया जाता है। कोई आदेश नहीं

लागत के बारे में "। हेत् सिंह यादव और हमारा। वी. भारत और ओआरएस का संघ। [अशोक भूषण, जे।]

27. भारत संघ ने उपरोक्त दो आदेशों के खिलाफ एक अपील दायर की थी जिसे देरी के आधार पर और दिनांक 06.02.2015 के गुण-दोष के आधार पर भी खारिज कर दिया गया था। 06.02.2015 पर न्यायालय द्वारा पारित पूरे आदेश को निकालना उपयोगी है, जो निम्नलिखित प्रभाव के लिए हैः

" भारत के सर्वोच्च न्यायालय में

सिविल अपीलेट न्यायपालिका

सिविल अपील सं। 2015 का (डी. नं. 12209 2014)

अपीलार्थी (ओं)

भारत और ओआरएस का संघ।

वेरसस

के. जी. थॉमस

प्रतिवादी (ओं)

आदेश

पक्षकारों की विद्वान सलाह सुनी।

अत्यधिक विलंब के अलावा, हम अपीलों में कोई योग्यता नहीं पाते हैं।

तदनुसार, अपीलों को विलंब के आधार पर और योग्यता के आधार पर भी खारिज कर दिया जाता है।

तथापि, यह स्पष्ट किया जाता है कि सशस्त्र बल न्यायाधिकरण का आदेश वर्तमान मामले के तथ्यों तक ही सीमित रहेगा, क्योंकि

अपीलार्थियों के अनुसार, पूर्ण तथ्यों को न्यायाधिकरण के ध्यान में नहीं लाया गया था।

यह स्पष्ट किया जाता है कि यह अपीलार्थियों के लिए खुला रहेगा कि वे उचित मामलों में पूर्ण तथ्यों को न्यायाधिकरण के ध्यान में लाएं।

जे.

(कुरियन जोसेफ

(आर के अग्रवाल

नई दिल्ली;

6 फरवरी, 2015 "[2018] 2 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

28. इस न्यायालय ने अपने दिनांक 06.02.2015 के आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि सशस्त्र बल न्यायाधिकरण का आदेश निम्नलिखित तथ्यों तक सीमित होगाः

उक्त मामला, क्योंकि भारत संघ के अनुसार, पूर्ण तथ्यों को न्यायाधिकरण के ध्यान में नहीं लाया गया था। इसके अलावा, इस न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह भारत संघ के लिए उपयुक्त मामलों में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के ध्यान में पूरे तथ्यों को लाने के लिए खुला रहेगा। इस प्रकार इस न्यायालय के दिनांक 1 के आदेश को आवेदकों के पक्ष में कोई अनुपात निर्धारित करने के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है, जिस पर वे वर्तमान मामले में भरोसा कर सकते हैं। स्क्वाड्रन के मामले में। एलडीआर। सुचेत सिंह यादव और अन्य, भारत संघ द्वारा जवाबी हलफनामा दाखिल करने सहित सभी सामग्रियों को रिकॉर्ड में लाया गया था। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, लेफ्टिनेंट कमांडर के मामले में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण। गुरमुख सिंह और वी. के. मेहता ने भारत संघ के मामले को स्वीकार करते हुए उनके दावे को खारिज कर दिया है।

29. इस प्रकार हमारी राय है कि मेजर में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण का आदेश। के. जी. थॉमस का मामला केवल उसी मामले तक सीमित है और इसे किसी भी पूर्ववर्ती के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है, जैसा कि इस न्यायालय ने स्वयं अपने दिनांकित 06.02.2015 आदेश में स्पष्ट किया है। इस प्रकार, मेजर के मामले में आवेदकों के लिए विद्वान वकील द्वारा निर्भरता। के. जी. थॉमस (ऊपर) और इस न्यायालय का दिनांकित 06.02.2015 गलत है।

30. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, वर्तमान में ऐसा कोई मामला नहीं है जहां भारत संघ द्वारा उन लोगों को पेंशन के भुगतान में कोई भेदभाव किया गया हो, जो

01.01.1996 से पहले सेवानिवृत्त हुए और जो 01.01.1996 के बाद सेवानिवृत्त हुए। हम पहले ही दिनांकित 07.06.1999 आदेश के पैरा 2 को निकाल चुके हैं, जो कर्नल बी. जे. अक्कारा (सेवानिवृत्त) के मामले में इस न्यायालय में "पद और पूर्व 01.01.1996 मामलों" दोनों की पेंशन की गणना के लिए एक ही सिद्धांत या सूत्र प्रदान करता है। बनाम भारत सरकार और अन्य। , (2006) 11 एस. सी. सी. 709 ने पूर्व और पोस्ट दोनों सेवानिवृत्त लोगों की पेंशन के संशोधन के प्रश्न पर विचार करते हुए कहा था कि दोनों के साथ समान व्यवहार किया गया है, हालांकि, कहा गया है कि इस न्यायालय द्वारा आर्मी मेडिकल कोर, डेंटल में काम करने वाले अधिकारियों के गैर-अभ्यास भत्ते के संदर्भ में पेंशन की गणना पर विचार करते हुए टिप्पणियां की गई थीं।

मेडिकल कोर और पशु चिकित्सा कोर। 31. यह अच्छी तरह से तय है कि पेंशन लाभ के उद्देश्यों के लिए पेंशनभोगी एक वर्ग बनाते हैं और वे योजनाएं जो पेंशनभोगियों को दो वर्गों में वर्गीकृत करती हैं।

कट ऑफ डेट के आधार पर कक्षाओं को इस न्यायालय द्वारा हमेशा अस्वीकार किया गया है। इस संदर्भ में, डी. एस. नकारा और अन्य के निर्णय के पैरा 42 का संदर्भ दिया गया है। बनाम भारत संघ, (1983) 1 एस. सी. सी. 305, जो निम्नलिखित प्रभाव से हैः

चेट सिंह यादव और हमारा। वी. भारत और ओआरएस का संघ।

[अशोक भूषण, जे।]

" 42. यदि यह निर्विवाद प्रतीत होता है, जैसा कि हमारे लिए होता है कि पेंशन लाभ के उद्देश्य से पेंशनभोगी एक वर्ग बनाते हैं, तो

इसके ऊपर की ओर संशोधन एक सजातीय वर्ग को संशोधन के उद्देश्य से असंबंधित पात्रता मानदंड को मनमाने ढंग से तय करके विभाजित करने की अनुमति देता है, और क्या ऐसा वर्गीकरण किसी तर्कसंगत सिद्धांत पर आधारित होगा? वर्गीकरण कुछ तर्कसंगत सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए, जैसा कि अच्छी तरह से तय किया गया है और तर्कसंगत सिद्धांत का उन उद्देश्यों के साथ संबंध होना चाहिए जिन्हें प्राप्त किया जाना चाहिए। हमने पेंशन के भुगतान के अंतर्निहित उद्देश्यों को निर्धारित किया है। यदि राज्य ने पेंशन योजना को उदार बनाना आवश्यक समझा, तो हम इन लाभों को केवल उन लोगों को देने के लिए कोई तर्कसंगत सिद्धांत नहीं पाते हैं जो उस तारीख के बाद सेवानिवृत्त हुए थे और साथ ही उन लोगों को भी जो उस तारीख से पहले सेवानिवृत्त हुए थे। यदि वृद्धावस्था में सरकारी कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए उदारीकरण को आवश्यक माना जाता था, तो जो पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं, वे नहीं हो सकते। बाद में सेवानिवृत्त होने वालों की तुलना में सबसे खराब स्थिति। इसलिए, यह विभाजन जो पेंशनभोगियों को दो वर्गों में वर्गीकृत करता है, किसी भी तर्कसंगत सिद्धांत पर आधारित नहीं है और यदि तर्कसंगत सिद्धांत पेंशनभोगियों को विभाजित करने का है, अन्यथा समान रूप से रखे गए व्यक्तियों को कुछ और देने की दृष्टि से, तो यह भेदभावपूर्ण होगा। उदाहरण के लिए, दो व्यक्तियों को लें,

एक दिन पहले ही सेवानिवृत्त हुआ और दूसरा एक दिन निर्दिष्ट तिथि के ठीक बाद। दोनों एक ही वेतन वर्ग में थे, औसत

परिलब्धि समान थी और दोनों ने समान संख्या में वर्षों की सेवा की थी। एक दिन पहले या एक दिन बाद सेवानिवृत्त होने की आकस्मिक परिस्थिति पेंशन के मामले में पूरी तरह से असमान व्यवहार की अनुमति कैसे देगी? एक दिन पहले सेवानिवृत्त होने वाले को 8100 रुपये प्रति माह की अधिकतम सीमा के अधीन होना होगा और 36 महीने के वेतन पर औसत परिलब्धि निर्धारित की जानी चाहिए, जबकि दूसरे की अधिकतम सीमा 12,000 रुपये प्रति माह होगी और औसत परिलब्धि की गणना पिछले 10 महीनों के औसत के आधार पर की जाएगी। कृत्रिम विभाजन मुँह में घूरता है और किसी भी सिद्धांत और किसी भी सिद्धांत से असंबंधित है, यदि कोई है, तो पेंशन योजना के उदारीकरण द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। वास्तव में इस मनमाने विभाजन का न केवल उदारीकृत पेंशन योजना से कोई संबंध नहीं है, बल्कि यह उल्टा है और पेंशन योजना के सभी पहलुओं के विपरीत है। अनुच्छेद 14 में गारंटीकृत समान व्यवहार का पूरी तरह से उल्लंघन किया गया है क्योंकि पेंशन नियम चरित्र में वैधानिक हैं, निर्दिष्ट तिथि के बाद से, नियम परिवर्तन [2018] 2 एस. सी. आर. के मामले में समान के लिए अंतर और भेदभावपूर्ण व्यवहार प्रदान करते हैं।

पेंशन। सेवानिवृत्ति के मामले में 48 घंटे के अंतर का एक दर्दनाक प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार विभाजन मनमाना और सिद्धांतहीन। इसलिए, वर्गीकरण परीक्षा में खड़ा नहीं होता है।

अनुच्छेद 14 "।

32. कर्नल बी. जे. अक्कारा (सेवानिवृत्त) मामले में इस न्यायालय के एक फैसले में बनाम भारत और अन्य। , (2006) 11 एस. सी. सी. 709 परिपत्र 07.06.1999 पर विचार किया गया और यह देखा गया कि परिपत्र उन लोगों को समान रूप से रखता है जो 01.01.1986 पर या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए और पूर्व-1986 सेवानिवृत्त हुए। ग्राफ 11 का निम्नलिखित प्रभाव हैः

" 11. हम सबसे पहले दिनांकित 7-6-1999 परिपत्र के आशय और उद्देश्य का उल्लेख कर सकते हैं। 7-6-1999 दिनांकित परिपत्र में न तो निर्धारित किया गया है

पेंशन की पात्रता के लिए आवश्यकताएँ/योग्यताएँ और न ही

पेंशन के निर्धारण की विधि। यह केवल प्रभावित करता है

राष्ट्रपति का निर्णय कि सेवानिवृत्ति की तारीख चाहे जो भी हो, पेंशन (जो पहले से ही लागू नियमों/आदेशों के अनुसार निर्धारित की जा चुकी है) 50 प्रतिशत से कम नहीं होगी।

1-1-1996 से शुरू किए गए वेतन के संशोधित पैमाने में न्यूनतम वेतन। पेंशन का निर्धारण प्रासंगिक नियमों/आदेशों के अनुसार, सेवा के अंतिम 10 महीनों के दौरान प्राप्त गणना योग्य परिलब्धियों (मूल वेतन, रैंक वेतन और एन. पी. ए.) के औसत की गणना करके और फिर 33 साल की योग्यता सेवा वाले सेवानिवृत्त लोगों के लिए लागू सेवानिवृत्ति पेंशन के रूप में 50 प्रतिशत लेकर, योग्यता सेवा की कम अवधि वाले सेवानिवृत्त लोगों के लिए आनुपातिक कमी के साथ किया जाता है। उन लोगों के संबंध में पेंशन की गणना करने का आधार जो 1-1-1996 से पहले सेवानिवृत्त हुए थे, और जो 1 1-1996 पर या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए थे, वही होता है। सेवानिवृत्ति पेंशन 33 वर्ष की योग्यता सेवा वाले सेवानिवृत्त लोगों के लिए औसत गणना योग्य परिलब्धियों का 50 प्रतिशत है, जिसमें कम वर्ष की योग्यता सेवा वाले लोगों के लिए आनुपातिक कमी है। दिनांक 2 के परिपत्र द्वारा प्रभावी राष्ट्रपति का निर्णय केवल उन सभी पूर्व-1996 सेवानिवृत्त लोगों के लिए है, जिन्हें संशोधित वेतनमान के संदर्भ में पेंशन के निर्धारण का लाभ नहीं मिला था, जो उक्त संशोधित वेतनमान के लाभ, हालांकि सीमित तरीके से, पर लागू हुए थे। ऐसा करने में, यह उन लोगों को भी एक समान और एक सामान्य मंच पर रखता है जो 1-1-1986 पर या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए और 1986 से पहले सेवानिवृत्त हुए, जिससे उनकी पेंशन में असमानता, यदि कोई हो, को दूर किया जा सके। ”

सुचेत सिंह यादव और हमारा। वी. भारत और ओआरएस का संघ। [अशोक भूषण, जे।]

33. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने के. सी. बजाज एंड ओआरएस में इस न्यायालय के निर्णयों का भी उल्लेख किया है। बनाम भारत संघ और अन्य। , (2014)

3 एस. सी. सी. 777; वी. कस्तूरी बनाम। प्रबंध निदेशक, भारतीय स्टेट बैंक, (1988) 8 एस. सी. सी. 30; भारतीय संघ और अन्य। बनाम। एस. पी. एस. (सेवानिवृत्त) और अन्य। , (2008) 12 स्केल 360। 34. इस न्यायालय के उपर्युक्त मामलों में निर्धारित प्रस्तावों पर कोई विवाद नहीं हो सकता है जहां इस न्यायालय ने निर्धारित किया है कि -

लाभ, कुछ तर्कसंगत सिद्धांत पर आधारित एक वर्गीकरण होना चाहिए जब किसी भी लाभ के अनुदान के लिए समान रूप से स्थित वर्ग को अलग किया जाता है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, वर्तमान में ऐसा कोई मामला नहीं है जहां पूर्व 01.01.1996 और पोस्ट 01.01.1996 सेवानिवृत्त लोगों के पेंशन लाभों में कोई भेदभाव हो। आवेदक, अपने दावों को भारत सरकार के दिनांकित 21.11.1997 के आदेश पर आधारित करते हैं और हम पहले ही मान चुके हैं कि जो लोग 01.01.1996 पर सेवा में नहीं थे, वे दिनांकित 21.11.1997 के आदेश के किसी भी लाभ का दावा नहीं कर सकते थे। इस प्रकार, वर्तमान किसी भी प्रकार के भेदभाव और पूर्व और पोस्ट 01.01.1996 के पेंशन लाभों में अंतर का मामला नहीं है। सेवानिवृत्त। हम ऊपर पहले ही देख चुके हैं कि सशस्त्र बल अधिकारियों के वेतन और भत्तों के संदर्भ में 21.11.1997 दिनांकित आदेश जारी किया गया था, जो पूर्व-मान लेता है कि ये अधिकारी 01.01.1996 पर प्रतिष्ठान में थे। इस प्रकार हमारा विचार है कि आवेदक स्पष्ट रूप से दिनांकित 21.11.1997 आदेश के तहत उच्च वेतनमान के लाभ के अनुदान के हकदार नहीं थे। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के उन आवेदकों को उक्त लाभ देने के आदेश, जो पहले ही 01.01.1996 से सेवानिवृत्त हो चुके थे, को दरकिनार कर दिया गया है, जबकि सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के आदेश, जिन्होंने यह विचार रखा है कि सशस्त्र बल अधिकारी, जो 01.01.1996 से पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं, पेंशन लाभों के हकदार नहीं हैं, को बरकरार रखा गया है।

नतीजतन, भारत संघ द्वारा दायर अपील, यानी सिविल

2016 की सिविल अपील डायरी संख्या 7231)-भारत संघ और अन्य। बनाम लेफ्टिनेंट कमांडर। भीष्म कुमार (सेवानिवृत्त) और अन्य। और सिविल अपील (2017 की सिविल अपील डायरी संख्या 22257 से उत्पन्न)-भारत संघ और अन्य। बनाम। स्क्वाड्रन। एलडीआर। जय कुमार और अन्य। अनुमति है और आवेदकों की यानी सिविल अपील (2016 की सिविल अपील डायरी संख्या 26259 से उत्पन्न)-सुचेत सिंह यादव और अन्य। बनाम भारत संघ और अन्य। ; सिविल अपील 774

सर्वोच्च न्यायालय की

रिपोर्ट

2015 का ए. नं. 7989-लेफ्टिनेंट कमांडर। गुरमुख सिंह बनाम भारत संघ और अन्य। ; और 2016 की सिविल अपील संख्या 7917-वी. के. मेहता बनाम। भारत संघ और अन्य। , बर्खास्त कर दिए जाते हैं।

दिव्या पांडे